कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 841 /रेनुकूट/ 15–31 रेनकूट,दिनांक,सितम्बर,06, ,2017

सेवा में,

यूनिट हेड
मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन(हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.)
रेनुसागर–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु लीज पर दी गयी 61.2348 हे0 वन भूमि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे0 मे. से 61.2348 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ.नं. 8–05/1993–एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक– 13.02.2017
(2) इस कार्यालय का पत्र संख्या– 2918/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 20.03.2017
(3) आपका पत्र संख्या– एच.आर./1686 दिनांक– 21.06.2017
(4) इस कार्यालय का पत्र संख्या– 3972/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 21.06.2017
(5) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ.नं. 8–05/1993–एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक– 24.07.2017
(6) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 236/11–सी–एफ.पी./यू.पी./आई.एन.डी./25304/2017लखनऊदिनांक–28.07.2017
(7) इस कार्यालय का पत्र संख्या– 474/रेनुकूट/15–31 दिनांक–05.08.2017
(8) आपका पत्र संख्या– एच.आर.2167 दिनांक–17.08.2017
(9) इस कार्यालय का पत्र संख्या– 629/रेनुकूट/15–31 दिनांक–22.08.2017
(10) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 625/11–सी–एफ.पी./यू.पी./आई.एन.डी./25304/2017लखनऊ,दिनांक–31.08.2017
(11) सहायक महाप्रबन्धक(विधि) मे. हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट का पत्र दिनांक– 01.09.2017

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत सरकार के संदर्भित आदेश दिनांक– 13.02.2017 तथा संशोधित संदर्भित आदेश 24.07.2017 के अनुसार , शर्त संख्या– 3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराने तथा शर्त संख्या– 5 व 6 के अनुपालन मे निर्धारित धनराशि की बैंक गारण्टी तथा समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप (Tabular Form) में तैयार कराते हुए तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.08.2017 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था ।

इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक– 05.08.2017 द्वारा प्रेषित मॉग पत्र को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अस्वीकार, करते हुए अपने संदर्भित पत्र दिनांक– 31.08.2017 द्वारा एन0पी0वी0 हेतु ''इको–श्रेणी तृतीय'', के अन्तर्गत 'खुले वन' हेतु एन0पी0वी0 के लिए निर्धारित धनराशि रू0 6,26,000/– की दर से एन0पी0वी0 आंगणित करते हुए संशोधित मॉग पत्र प्रेषित करने एवं ''सैद्धान्तिक स्वीकृति'' आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.08.2017 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निम्नानुसार वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए उससे संबंधित चालान की मूल प्रति, बैंक गारण्टी एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित

प्रारूप में (Tabular Form) तैयार कराते हुए पॉच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें :–

<u>शर्त संख्या–3</u> भारत सरकार के संदर्भित "सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश" दिनांक–13.02.2017 की शर्त सं. 3 के अनुपालन में निम्नानुसार निर्धारित धनराशि **ई–पोर्टल** के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें –

क्र. सं.	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे0)	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र दिनांक–31.08.2017 द्वारा "इको–श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुले वन" के लिए निर्धारित एन0पी0वी0की दर (प्रति हे0)	एन0पी0वी0 की कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1	आरक्षित वन भूमि	61.2348	6,26,000.00	3,83,32,984.80 या 3,83,32,985.00

(रू. तीन करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार नौ सौ पचासी मात्र)

<u>शर्त संख्या–5</u> इस शर्त के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3,83,32,985/–मात्र पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित धनराशि = रू0 3,83,32,985.00 X 20 प्रतिशत = 76,66,597.00 प्रति वर्ष अतः वर्ष 2009–10 से 2016–17 तक कुल 8 वर्षो हेतु निर्धारित धनराशि = रू0 76,66,597.00 X 8 = **6,13,32,776.00** (रू0 छः करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र)

भारत सरकार के पत्र संख्या– 236 दिनांक 24.07.2017 के बिन्दु संख्या– 2(III) के अनुपालन में उक्त धनराशि रू0 6,13,32,776.00 (रू. छः करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की **बैंक गारण्टी** उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

<u>शर्त संख्या– 6</u> इस शर्त के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पठारी भूमि के लिए निर्धारित धनराशि रू. 151904.00 प्रति हे0 की दर से 61.2348 हे0 हेतु धनराशि = 61.2348 हे0 X रू. 151904.00 = रू. **93,01,811** (रू0 तिरानवे लाख एक हजार आठ सौ गयारह मात्र)

भारत सरकार के पत्र संख्या– 236 दिनांक– 24.07.2017 के बिन्दु संख्या– 2(III) के अनुपालन में उक्त धनराशि रू. **93,01,811** (रू0 तिरानवे लाख एक हजार आठ सौ गयारह मात्र) की **बैंक गारण्टी** उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उक्त मॉग पत्र भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार/उच्च स्तर से निर्गत होने वाले आदेशों से बाधित रहेगा ।

भवदीय
6.9.17
(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

<u>संख्या– अ/सम दिनांकित ।</u>
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ महोदय को उनके संदर्भित पत्र दिनांक– 31.08.2017 के कम में ।
2. मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।

(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट